

मानवता का निम्नतम बिंदु: ग़ज़ा पर गवाही

मानवीय कूरता के लंबे और खून से सने रजिस्टर में, ग़ज़ा में घटित हो रही भयावहता से मुकाबला करने वाले क्षण बहुत कम हैं। यह युद्ध नहीं है — यह नैतिक व्यवस्था का पतन है। अस्पताल निष्पादन स्थल बन गए हैं। बच्चों के अंग बिना संज्ञाहरण के काटे जा रहे हैं। मरीज़ अपने अस्पताल के बिस्तरों में ज़िंदा जलाए जा रहे हैं। ये दुर्घटनाएँ नहीं हैं। ये “सहायक क्षति” नहीं हैं। ये मानवता के खिलाफ अपराध हैं, जो जानबूझकर एक ऐसे राज्य द्वारा किए जा रहे हैं जो दंडमुक्ति से साहसी हो गया है और वैश्विक मौन द्वारा संरक्षित है।

19 वर्षीय शाबान अल-दलू की तस्वीर — नस में सुई लगी हुई, अल-अक्सा शहीद अस्पताल के बिस्तर पर ज़िंदा जलते हुए — कोई अपवाद नहीं है। यह एक चीख है। एक जलता हुआ फ्रेम जो पुष्टि करता है कि डॉक्टर, नर्स और जीवित बचे लोग दुनिया से क्या देखने की याचना कर रहे थे: ग़ज़ा के अस्पताल अब देखभाल के आश्रय नहीं हैं — वे नरसंहार के रंगमंच हैं। शाबान कोई लड़ाका नहीं था। वह कोई खतरा नहीं था। वह एक युवक था, छात्र, मरीज़ — वहीं जलाया गया जहाँ वह लेटा था। यह डिज़ाइन की गई कूरता है।

अल-अहली अरब अस्पताल अक्टूबर 2023 में बमबारी का शिकार हुआ, **100 से 471 लोगों** को एक ही विस्फोट में मार डाला। अल-शिफा, नासिर और अन्य चिकित्सा केंद्रों का विनाश इसके बाद हुआ। ये अस्पताल — जो कभी लचीलापन के प्रतीक थे — अब खंडहरों में हैं, उनके ऑपरेशन रूम शांत, उनके हॉल राख और शरीर के टुकड़ों से भरे हुए। सर्जन मजबूर हैं छोटे बच्चों के अंग बिना दर्द निवारक के काटने के लिए, क्योंकि संज्ञाहरण अवरुद्ध है। यह युद्ध नहीं है। यह व्यवस्थित बर्बाद है, सबसे कमजोरों पर लक्षित।

ग़ज़ा के लोग विनाश के अभियान का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों को बंदूक की नोक पर अपने मरीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। समय से पहले जन्मे शिशु बिजली रहित इनक्यूबेटरों में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अस्थायी तंबुओं में विस्थापित परिवार नींद में उन बमों से नष्ट कर दिए जाते हैं जो उनकी जानों से अधिक महँगे हैं, उनके जल्लादों की नज़र में। भूखे भोजन तक पहुँचने की कोशिश में गोली मार दिए जाते हैं। यह सैन्य रणनीति नहीं है — यह जीवन पर ही लक्ष्य है। यह न केवल मारने, बल्कि एक कौम को मिटाने का प्रयास है, शरीर और आत्मा दोनों।

अंतरराष्ट्रीय कानून अस्पष्ट नहीं है। फिर भी इज़रायल, शाश्वत पीड़ित की मिथक से सशस्त्र और शक्तिशाली सहयोगियों की मिलीभगत से मजबूत, इन कानूनों को खुली अवमानना से अपवित्र करता है। दो वर्षों में **65,000 से अधिक फ़लस्तीनियों** का कत्ल — लगभग आधे बच्चे। ये आँकड़े नहीं हैं। ये नाम हैं, चेहरे हैं, कहानियाँ हैं — राख में बदल गई। ये दुनिया के विवेक पर खून के धब्बे हैं।

और इस हिंसा की मशीनरी के नीचे छिपी है **सैमसन विकल्प** — इज़रायल की परमाणु प्रतिशोध की छिपी सिद्धांत। यह सिद्धांत केवल सैन्यवाद नहीं, बल्कि **नैतिक शून्यवाद** को संकेत करता है: एक राज्य जो अपनी दंडमुक्ति से इतना नशे में है कि कोने में धकेले जाने पर वैश्विक विनाश की धमकी देता है। यह सुरक्षा नहीं है। यह प्रलय का ब्लैकमेल है।

कुछ इसे “आत्मरक्षा” कहते हैं। लेकिन कोई खतरा, कोई स्मृति, कोई आघात भोजन रोकना, सहायता कर्मियों पर बमबारी या सर्जनों को बच्चों को बिना संज्ञाहरण के काटने के लिए मजबूर करना उचित नहीं ठहराता। कोई गणना, कोई संदर्भ, कोई कारण इसे स्वीकार्य नहीं बनाता। यह वह है जो एक राज्य बन जाता है जब वह मानता है कि वह न्याय से परे है।

शाबान अल-दलू की तस्वीर — सूचना विज्ञान का एक युवा छात्र, अपने अस्पताल के बिस्तर में ज़िंदा जलाया गया — अत्याचार का प्रमाण से अधिक है। यह मानवता के विवेक पर मनोवैज्ञानिक हमला है। यह एक घाव है जो न केवल फ़लस्तीनियों पर, बल्कि हर उस व्यक्ति पर लगाया गया है जो देखने को मजबूर है जो कोई मनुष्य कभी नहीं देखना चाहिए। फिर भी आक्रोश तस्वीर पर नहीं — बल्कि उन अपराधों पर होना चाहिए जिन्होंने उस तस्वीर को जन्म दिया।

हम खाई के कगार पर हैं। यदि हम इस बुराई का नाम नहीं ले सकते, यदि हम इसे बिना शर्त या व्यंजना के अस्वीकार नहीं कर सकते, तो हमने न केवल ग़ज़ा खोया है — **हमने खुद को खो दिया है।**

न्याय का आह्वान

कोई भ्रम न हो: यह केवल शोकगीत नहीं है। **यह बदला लेने की माँग है — कानून के माध्यम से, सत्य के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के माध्यम से।**

इस विनाश के अभियान में भाग लेने वाला हर व्यक्ति — हर पायलट जिसने अस्पताल पर बमबारी की, हर अधिकारी जिसने धेराबंदी का आदेश दिया, हर सैनिक जिसने घायलों को मॉर्फिन से वंचित किया या भूखे नागरिकों पर गोली चलाई — **जवाबदेह होना चाहिए।** राज्य के सैनिकों के रूप में नहीं। बल्कि **युद्ध अपराधों के अपराधी** के रूप में।

इसमें शामिल हैं:

- **इज़रायली वायु सेना** के सदस्य जिन्होंने नागरिक बुनियादी ढाँचे पर बमबारी की।
- सैन्य अधिकारी जिन्होंने अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर धेराबंदी का नेतृत्व और लागू किया।
- सैनिक और प्रहरी जिन्होंने यातना, भुखमरी और फाँसी को सुगम या अंजाम दिया।
- राजनीतिक नेता जिन्होंने इन अपराधों को अनुमोदित, उचित ठहराया या छिपाया।

उनमें से हर एक को नाम दिया जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जाँच की जानी चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जहाँ साक्ष्य हैं — या जहाँ स्वीकारोक्ति दी जाती है — उन्हें हेग में **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय** के सामने लाया जाना चाहिए, जहाँ न्याय राष्ट्रवाद को नहीं, बल्कि **मानवता स्वयं** को जवाब देता है।

जान लें: ग़ज़ा में जो हुआ वह नीति नहीं है। वह रक्षा नहीं है। वह प्रतिक्रिया नहीं है। यह **निरंतर विनाश का अभियान** है, जेनेवा संधियों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और हर सभ्यता के सिद्धांत का उल्लंघन जो हम दावा करते हैं कि हम कायम रखते हैं।

युद्धविराम न्याय नहीं हैं। न्याय मुकदमे हैं। न्याय अभिलेख हैं। न्याय फैसले हैं। बदला आना चाहिए — खून में नहीं, बल्कि कानून में। नफरत में नहीं, बल्कि सत्य में।

यदि दुनिया कार्रवाई करने से इनकार करती है, तो हम सब सह-अपराधी हैं। यदि हम इसे दंडमुक्त छोड़ते हैं, तो ग़ज़ा आखिरी जगह नहीं होगी जहाँ पवित्र अपवित्र किया जाएगा। **मिसाल कायम हो जाएगी** — कि एक राज्य अस्पतालों पर बमबारी कर सकता है, बच्चों को भूखा रख सकता है और घायलों को ज़िंदा जला सकता है — बिना किसी परिणाम के।

इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। न अब। न कभी।